भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2984
दिनांक 29 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जीएमसी, हल्द्वानी में रैगिंग का मामला

2984 **श्री विशम्भरप्रसादनिषादः**
श्री रामनाथठाकुरः
श्रीमती छायावर्माः
चौधरीसुखराम सिंह यादवः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच हे कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, हल्द्वानी में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष केछात्रोंकेसाथ रैगिंग का मामला सामने आया है;
(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) रैगिंग करने में संलिप्त लोगों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): उत्तराखंड राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकारी चिकित्सा कॉलेज, हल्द्वानी में रैगिंग से संबंधित मामले की जांच के विषय में दायर पीआईएल संख्या 23/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के दिनांक 03.03.2022 के आदेश के अनुपालन में दिनांक 14.03.2022 को एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 18.03.2022 को कोतवाली, हल्द्वानी में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर की गई थी।

*****